विज्ञप्ति संख्या – 04/2015

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, सिमडेगा

इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति की सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1531 दिनांक 03.07.2015 के निदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, सिमडेगा के विज्ञप्ति संख्या 01/2015 को निरस्त करते हुए नए सिरे से निम्नांकित रूप में विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही हैः–

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में दिनांक 07.08.2015 तक स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन–पत्र निम्नांकित पते पर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 07.08.2015 के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता– जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा
समाहरणालय भवन, सी0–ब्लॉक
ग्राउण्ड फ्लोर, खूंटीटोली,
जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।
पिन कोड– 835223

1. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भर कर, उचित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकायेंगे एवं आवेदन–पत्र के उचित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन–पत्र के साथ वांछित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न कर एक लिफाफा में भेजेंगे। लिफाफा के उपर में बड़े अक्षरों में **इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक/इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक (जो लागू हो) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन** अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे तथा लिफाफे पर अपना नाम, पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाईल संख्या अंकित करेंगे।

2. नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता निम्नवत् हैः–

i. भारत का नागरिक हो।

ii. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(ख);पद्ध में वर्णित निम्नलिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया हो एवं उत्तीर्ण हो।

(अ) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।